GOVERNMENT RAZA P.G. COLLEGE
RAMPUR (U.P.) INDIA

Re-Accredited 'B' Grade "IIIrd Cycles of Accreditation" by NAAC

Affiliated to M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly, U.P; India

SERIES OF COLLEGE WEBINARS

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत

वेबीनार (सेमिनार) का शीर्षकः भारतीय समाज में महिला जागरूकता

(उपभोक्ता संरक्षण जागरूकता के विशेष संदर्भ में)

Title of Webinar (Seminar): Women Awareness in Indian Society
(with special reference to consumer protection awareness)

दिवसः शुक्रवार, 05.02.2021, समयः अपराह्न 02: 30 से 03:30

कार्यक्रम रूपरेखा

कार्यक्रम विवरण	वक्ता
परिचय एवं मंच संचालन	डॉ. अमित अग्रवाल
आख्या प्रस्तुतीकरण	डॉ. डॉ. मुदित सिंघल
शुभारंभ की घोषणा एवं आशीर्वचन	डॉ. दीपा अग्रवाल
वक्तव्य-मुख्य वक्ताः	डॉ. नजाकत हुसैन, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय भोजपुर मुरादाबाद
धन्यवाद ज्ञापन	डॉ. अमित अग्रवाल
समापन	सामूहिक राष्ट्रीय गान

प्राचार्य/संरक्षकः डॉ- पी.के.वार्ष्णेय

संयोजकः डॉ. बेबी तबस्सुम आयोजकः डॉ. अमित अग्रवाल

रिपोर्ट संकलन एवं संप्रेक्षण डॉ. सुमन लता

महिलाओं और बेटियों को अपनी सुरक्षा, सम्मान और स्वालंबन के प्रति जागरूक कराने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत। 17 अक्टूबर 2020 को यूपी सरकार की तरफ़ से मिशन शक्ति का शुभारंभ नवरात्रों में शुरू किया गया है जो छह महीने तक जारी रहेगा। और इस अभियान में भी नारी सशक्तीकरण और सुरक्षा के लिए कई और एलान किए गए जिसकी शुरुआत लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की तो बलरामपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की हर बेटी-हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। जो लोग नारी गरिमा और स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बेटियों पर बुरी नजर डालेंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है। यह लोग सभ्य समाज के लिए कलंक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे अपराधियों से पूरी कठोरता से निपटेगी। इनकी दुर्गति तय है। शारदीय नवरात्र से बासंतिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ करते हुए योगी ने कहा कि नारी 'शक्ति' की प्रतीक है। हमारी सनातन परंपरा में नारी पूजनीय है, वंदनीय है। नवरात्रि का अनुष्ठान इसी का द्योतक है। आवश्यकता है कि बदलते दौर में नई पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा का वाहक बनाएं, उनमें, स्त्री के प्रति सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन की भावना का प्रसार करें। 'मिशन शक्ति' इसी दिशा में एक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं एवं बेटियों सुरक्षा व सम्मान की शुरुआत घर से होने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बेटा-बेटी में कोई भेद नहीं, कोख में बेटियों की हत्या और बाल-विवाह की सार्वजनिक रूप से निंदा होनी चहिए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे प्रयासों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार पूरी मजबूती से बेटियों के उत्थान के लिए से संकल्पित है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अभियान के तहत वूमेन पावर लाइन (1090), यूपी 112 तथा एंटी रोमियो स्कवायड को और तेज कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हर महीने होने वाले कार्यक्रमों के लिए थीम निर्धारित की गई है. अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एस. राधा चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक योजना बनाई गई है. इसके तहत शारदीय से वासंतिक नवरात्रि के बीच (अक्टूबर से अप्रैल) तक मिशन शक्ति अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट और महिला अपराध संबंधी कानूनों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

unicef
For every child
Health, Education, Equality, Protection
ADVANCE HUMANITY

Ministry of Women and Child Development

राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME

NCTE
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

पृष्ठभूमि: Women's are the wealth of India and they have contributed in almost every field and made country feel proud at every occasion. They are in front, leading the country, making mile stones and source of inspiration for many However, another reality of Indian society is that there is systematic discrimination and neglect of women's in India, which could be in terms of inadequate nutrition, denial or limited access to education, health and property rights, child labour and domestic violence etc. The fear of sexual violence has been a powerful factor in restricting women's behavior and sense of freedom. The struggle against violence is actually the struggle against the unequal distribution of power both physical and economic between the sexes. Media is the mirror of society and media reports are reflection of happenings in the society. Media has immense power to influence the masses and communication and IT revolution has further increased its importance. Unfortunately, nowadays media is wavering from its actual role and giving biased information which makes development of the society more difficult. Portraying women as equals in. the society is a subject that has been given low priority by the Indian media. The Indian media needs to be sensitized to gender issues and now must focus on women issues in a decisive way as their role is detrimental for the women empowerment in India. In the light of these facts, the present paper focuses on women's issues in contemporary Indian society and role of media in addressing the issues.

उपभोक्ता जागरूकता एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति, समझ उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के विपणन किया जा रहा है और बेचा के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस अवधारणा की चार श्रेणियों के सहित सुरक्षा, पसंद, जानकारी, और सुना जाने का अधिकार शामिल है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले अमेरिका में 1962 में स्थापित की गयी थी। उपभोक्ता जागरूकता के कार्यकर्ता राल्फ नादेर है। उन्हे उपभोक तथा आंदोलन के पिता के रूप में संदर्भित किया जाता है। पूंजीवाद और वैश्वीकरण के इस युग में, अपने लाभ को अधिकतम करना प्रत्येक निर्माता का मुख्य उद्देश्य है। हर संभव तरह से यह निर्माता अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे उपभोक्ता के हित को भूल जाते है और अपने उदाहरण के लिए ज्यादा किराया, वजनी, मिलावटी और गरीब गुणवत्ता की वस्तुओं की बिक्री, झूठे विज्ञापन आदि देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने के तहत शोषण करते रेहते है। इस तरह के धोखे से खुद को बचाने के लिए, उपभोक्ता को चौकस रहने की आवश्यकता है। इस तरह से, उपभोक्ता जागरूकता का मतलब है की उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता रखते है।

जरूरत और महत्व

यह अक्सर देखा जाता है कि एक उपभोक्ता सही माल और सेवाएँ प्राप्त नहीं करता है। वह एक बहुत ही उच्च मूल्य चार्ज किया जाता है या मिलावटी या कम गुणवत्ता पर सामान को खरीदता है। इसलिए यह धोखा उसके बारे में पता करने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित तथ्यों को वर्गीकृत उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की जरूरत है: अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए: हर व्यक्ति की आय सीमित है। वह अपनी आय के साथ अधिकतम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहता है। वह केवल द्वारा यह सीमित समायोजन पूर्ण संतुष्टि हो जाता है। इसलिए यह माल जो मापा जाता है उचित रूप से मिलना चाहिए और उसमे किसी भी तरह का धोखा ना होना आवश्यक है। इस के लिए वह जागरूक बनाया जाना चाहिए। शोषण के खिलाफ संरक्षण: निर्माताओं और विक्रेताओं के कम वजन , बाजार मूल्य से अधिक कीमत लेने, डुप्लीकेट माल आदि की बिक्री के रूप में कई मायनों में उपभोक्ताओं का दोहन किया जाता है। उनके विज्ञापन के माध्यम से बड़ी कंपनिया भी उपभोक्ताओं को गुमराह करती है। उपभोक् जागरूकता उन्हें निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा शोषण से बचाने का एक माध्यम है। सही सूचित किया जाने के लिए: जब हम किसी भी सामान को देखते हैं तो उसकी कुछ विशेष जानकारी पैकेट पर लिखी होती हैं। उसके साथ उस उत्पाद की खरीद भी लिखी होती है। इस तरह के रूप में - कमोडिटी, निर्माण दिनांक, समाप्ति दिनांक, अच्छा आदि का विनिर्माण कंपनी के पते की संख्या बैच सब होता है। जब हम कोई भी दवा खरीदते है, तब हम दुष्प्रभाव और दवाओं के खतरों के बारे में दिशा मिल करते है। जब हम कपड़े खरीदते है, तो हम धोने के निर्देश पर ध्यान देना चाहिए। यह जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाती है जिस्से की वह सही चीजें और सेवाएँ जो वे खरीदने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। सूचना का अधिकार: वर्ष 2005 में, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार के रूप में जाना - जाता कानून बना दिया है। सूचना कानून के अधिकार सरकारी विभागों की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। उपभोक्ताओं को भी सही उपभोक्ताओं को पाने के लिए यह शिक्षा प्रदान करता है। सही निवारण करने के लिए: उपभोक्ताओं को व्यवहार्य बार्गेनिंग और शोषण विरुद्ध निपटान का अधिकार है। सही निवारण करने के लिए एक एकल उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। आना नाम के एक आदमी को टोनसिल्स हटाने के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सामान्य संज्ञाहरण के तहत टोनसिल्स् के हटाने के लिए एक ईएनटी सर्जन संचालित था। इस कारण अनुचित संज्ञाहरण, जिसके कारण वह पूरे जीवन के लिए बाधा बने आन में मानसिक असंतुलन का लक्षण विकसित कीया गया था। उपभोक्ता विवाद निवारण समिति अस्पताल उपचार में लापरवाही का दोषी पाया गया और मुआवजे का भुगतान करने के लिए उसे निर्देश दिया था। इस प्रकार, यह अगर किसी भी नुकसान सहन करने के लिए एक उपभोक्ता है, तब नुकसान, की मात्रा के आधार पर उपभोक्ता सही निवारण प्राप्त करने के लिए है कि स्पष्ट है।

GOVT. RAZA POST GRADUATE COLLEGE, RAMPUR

Re-Accredited 'B' by NAAC
Affiliated by M.J.P rohilkhand University, Bareilly

वेबिनार आख्या
कार्यालय, राजकीय रज़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर, उ0प्र0
दिनाँक: **05/02/2021**

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय महाविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत भारतीय समाज में **महिला जागरूकता, उपभोक्ता संरक्षण जागरूकता** विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया।

डॉ. दीपा अग्रवाल ने कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश में लाखों उपभोक्ताओं को सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया । यह ऐसे न्याय को सुनिश्चित करता है जो औपचारिक, कम कागजी कार्यवाही तथा कम खर्चीला है । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हो। इसमें सभी निजी सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र शामिल हैं। यह उपभोक्ता को नगरपालिका के अधिकारियों को, जो सभी सेवाएं जैसे सड़कों पर रोशनी, पीने का पानी, नालियां और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में असफल रहते है, उपभोक्ता को न्यायालयों में चुनौती देने की भी शक्ति देता है।

मुख्य वक्ता डॉ नजाकत हुसैन प्राचार्य ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण पद्धति वह है जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेताओं या निर्माताओं द्वारा ठगा जाता है तो वे उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायत कर सकते हैं. और न्याय की मांग कर सकते हैं। कार्यक्रम में डॉ० अमित अग्रवाल, डॉ० एम. पी. एस. यादव के अलावा वेबिनार में प्रध्यापको व छात्र छात्राएं ने भी ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

भारतीय समाज में महिला जागरूकता, उपभोक्ता संरक्षण जागरूकता विषय पर हुआ वेबीनार का आयोजन

रामपुर (मुजाहिद खान)। राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय महाविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत भारतीय समाज में महिला जागरूकता, उपभोक्ता संरक्षण जागरूकता विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया।

डॉ. दीपा अग्रवाल ने कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,देश में लाखों उपभोक्ताओं को सस्ता,सरल और शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया।यह ऐसे न्याय को सुनिश्चित करता है जो कम औपचारिक, कम कागजी कार्यवाही तथा कम खर्चीला है।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हो। इसमें सभी निजी सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र शामिल हैं। यह उपभोक्ता को,नगरपालिका के अधिकारियों को,जो सभी सेवाएं जैसे सड़कों पर रोशनी, पीने का पानी, नालियां और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश में लाखों उपभोक्ताओं को सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया

असफल रहते है,उपभोक्ता को न्यायालयों में चुनौती देने की भी शक्ति देता है।
मुख्य वक्ता डॉ नजाकत हुसैन प्राचार्य

ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण पद्धति वह है जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेताओं या निर्माताओं द्वारा ठगा जाता है तो वे उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायत कर सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते है। कार्यक्रम में डॉ0 अमित अग्रवाल, डॉ0एम.पी.एस. यादव के अलावा वेबिनार में प्रध्यापको व छात्र छात्राएं ने भी ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

Principal
Govt. Raza P.G. College
Rampur (U.P.)